

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 138/2019

वादी

1 हीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर।

व बनाम

प्रतिवादीगण  
1 खीमाराम 2 करनाराम पिसरान खुशालाराम  
3 नरसिंगाराम 4 दामोदर 5 चेतनराम पिसरान  
फकीरा 6 कनकों पत्नी फकीरा जाति कुम्हार  
निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील  
व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान  
मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।  
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक.....12.1.2019

संक्षिप्त में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 स्वर्गीय खुशालाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोगियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 का कब्जा काश्त है। खुशालाराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि खुशालाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा निहित है। वादी, प्रतिवादी संख्या 01 खीमाराम के विधिक वारिस है। वादी का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादी अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादी का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 खीमाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादी का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादी को प्रतिवादी संख्या 01 खीमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादी का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या

सहायक कलक्टर द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादी (SDO) बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या 01 खीमाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 खीमाराम के साथ वादी का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादी अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादी का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादी अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी खीमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी खीमाराम प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक 17.9.11 को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री  
अनवान

वादी	प्रतिवादीगण
1 हीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर। दावा बाबत 88 रा.का.अ. मुकदमा नम्बर :- 138/2019 निर्णय दिनांक :- .....17.9.11.....	1 खीमाराम 2 करनाराम पिसरान खुशालाराम 3 नरसिंगाराम 4 दामोदर 5 चेतनराम पिसरान फकीरा 6 कनकों पत्नी फकीरा जाति कुम्हार निवासी नारणोगियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर 7 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा।

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .....17.9.11... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोगियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 82 रकबा 43.12 बीघा, खसरा संख्या 92 रकबा 73.07 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 488 रकबा 18.03 बीघा व खसरा संख्या 492 रकबा 32.19 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी खीमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी खीमाराम प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। अतः तहसीलदार बाड़मेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 17.9.11 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 ..... रुपये पत्र प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	आदेशिका की तामिल
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़